तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/x/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी की ओर से बहस प्रार्थना पत्र की गई। जो सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की शामलाती खाते की आराजी ग्राम नान्दना उर्फ बडगांव की खाता संख्या 60 की खसरा नं0 236 एवं खाता संख्या 11 की खसरा नं0 235, 245, 5 एवं ग्राम देवनगर पटवार हल्का गिरधरपुरा की खाता संख्या 26 की खसरा नं0 11, 114, 28, 30, 5 भूमि स्थित है। उक्त आरजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जलील के स्थान पर जमील गलत अंकित हो गया है। प्रार्थीया के समस्त सरकार एवं अर्द्ध सरकारी दस्तावेजों में जलील नाम दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम राजस्व जमाबंदीयों में जमील के स्थान पर जलील नाम अंकित करने का आदेश प्रदान करे। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने जमील पुत्र करीम खां का सही नाम जलील होना बताया व गॉव में जमील को बचपन से अब्दुल जलील नाम से ही जाना जाता है। इस नाम का और कोई व्यक्ति गॉव में निवास नही करना बताया। बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जमील एवं अब्दुल जलील एक ही व्यक्ति के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम नान्दना उर्फ बडगांव की खाता संख्या 60 की खसरा नं0 236 एवं खाता संख्या 11 की खसरा नं0 235, 245, 5 एवं ग्राम देवनगर पटवार हल्का गिरधरपुरा की खाता संख्या 26 की खसरा नं0 11, 114, 28, 30, 5 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जमील पुत्र करीम खॉ के स्थान पर जमील उर्फ अब्दुल जलील पुत्र करीम खॉ दर्ज किया जावे। उक्त निर्णय आज दिंनाकः 17/x/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★	